PROGRAMME FOR CULTURAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL FOR THE YEARS 2003-2005

The Government of the of Republic of India and the Government of the State of Israel hereafter referred to as the Parties,

Guided by their desire to strengthen their friendly relations and to promote exchanges in the sphere of culture and

Pursuant to Article 11 of the Cultural Agreement signed between the two sides on May 18, 1993 at New Delhi,

Have agreed upon the following programme of exchanges for the years 2003-2005.

I. ART & CULTURE

Article 1

Both Parties will encourage direct contacts between book publishers.

Article 2

Both Parties will extend invitation to each other to participate in their respective International Book Fairs on a commercial basis as and when such Fairs take place during the validity of the Programme

Article 3

Both Parties welcome the participation of the Institute for Translation of Hebrew Literature in the International Book Fair in Delhi in 2004.

Article 4

Both Parties through Sahitya Akademi & National Book Trust in India and the Institute for the Translation of Hebrew Literature in Israel will work jointly in the field of translation of literary works of the other country into the languages of their respective countries.

In this context, both parties express their wish to promote publication of a book regarding letters sent by Jewish readers to the poet Rabindranath Tagore.

Both Parties will encourage contacts between writers and editors and arrange seminars, workshops and poetry reading aimed at greater understanding between the two literary communities. For this purpose, seven days shall be allotted annually. In this context the Israeli side invites the Sahitya Academy of India to participate in the International Poets' Conference in Jerusalem.

Article 6

Both Parties will encourage direct co-operation between:

- a) National Library, Kolkata (India) and National Library in Israel;
- b) National Archives of India and National Archives of Israel;
- c) Other reference and research libraries in both the countries.

Both Parties will exchange one visit of upto 4 days for activating this cooperation.

Article 7

Both Parties will encourage co-operation in the field of exploration and excavation with a view to investigating cross-cultural relations between Indian subcontinent, the Middle East and Egypt during the proto, pre-history and historical periods. The Archaeological Survey of India and the Israel Antiquity Authority will be the nodal institutions in this respect.

Article 8

Both Parties welcome the preservation and reconstruction of Jewish cultural heritage in India.

Article 9

Both Parties will encourage the relevant authorities in their respective countries to exchange information and publications on archaeology. They will also encourage the organisation of a joint seminar on a subject of mutual interest to be held during the course of this Programme. Details in this regard will be finalised by the Archaeological Survey of India and the Israel Antiquity Authority.

Article 10

During the validity of this programme, both Parties will exchange one expert from the fields of archaeology, preservation of antiquities, conservation of

monuments and architecture, for a period of up to seven days each, in order to exchange information on matters of their specialty. Details in this regard will be finalised by the Archaeological Survey of India and the Israel Antiquity Authority.

Article 11

Both Parties will encourage exchange of experts and the holding of workshops in the fields of theatre, music, dance, visual arts, museums, films and festival direction for which 20 man days shall be allotted annually.

Article 12

Both Parties will encourage the exchange of artists for performances and participation in each other's festivals of music, dance and theatre. Exchange of artists as regards its number and man-days will be based on the principle of reciprocity. Both sides will inform each other about major international festivals to be held in their respective countries in good time to facilitate such participation.

Article 13

The Israeli side expresses its interest in holding of a performance of a translated play written by Yossef Bar Yossef with the participation of the playwright.

Article 14

Both parties will encourage direct contacts between museums and institutions of both countries, including exchange of specialists. Both parties will encourage during the validity of this Programme, the exchange of exhibitions between the National Museum, New Delhi and the Israel Museum, Jerusalem. For this purpose specific MOU will be signed between the sending and the receiving institutions.

Article 15

Both parties will encourage during the validity of this Programme, the exchange of exhibitions between the National Gallery of Modern Art, New Delhi and the corresponding institutions in Israel.

Article 16

The Israeli side will send the Einstein exhibition to India which will be hosted by National Council of Science Museum (NCSM), Kolkata. Correspondingly, NCSM will send an exhibition which will be hosted by the reciprocal Institution in Israel.

The Israeli side expresses its interest in bringing "The Train" puppet theatre for performances in a few major cities in India as well as conducting workshops by puppeteers with children and professionals in the field of children's theatre. Reciprocally, the National School of Drama will send a children Theatre performance to Israel.

Article 18

The Israeli side express its interest in bringing "Shekjetak" Rhythm Dance Troupe, to perform and conduct workshops with Indian dancers on reciprocal basis.

Article 19

The Israeli side expresses its interest in bringing percussion musician, Chen Tsimbaista, to collaborate with a music institute in India and to perform on reciprocal basis.

II. MASS-MEDIA

Article 20

Both Parties will encourage the participation of films and film-makers in each other's International film festivals.

Article 21

Both Parties will encourage the holding of film weeks of the other party in their own country. The films to be screened by both the countries will have English sub-titles, if the language of the film is not English

Article 22

Each party will encourage mutual visits of an expert or figure in the field of cinema.

Article 23

Both Parties will encourage cooperation between cinema and television experts as well as film and television institutes of the two countries.

Both Parties welcome the proposal for cooperation between the film and television schools in both countries and will formulate proposals for exchange of students and teachers of the two film schools.

Article 25

Both Parties express their interest in promoting co-productions between Indian and Israeli film producers. Both Parties will discuss a co-production agreement, which facilitate future film co-productions.

III. YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

Article 26

Both Parties agree that the exchange of youth and young adults constitutes a major contribution to the development of relations between the two countries. They will, therefore, support youth exchange programme.

Article 27

Both Parties believe that emphasis should be on the active participation of young people themselves and the promotion of youth cooperation and networking through specific youth activities.

Article 28

Both Parties will explore the possibility of exchanging sport teams, players and experts in diverse disciplines, including cricket, squash and tennis. Details shall be worked out through mutual consultations.

Article 29

Both Parties will encourage mutual projects of professionals and experts in the field of youth. Details in this regard will be determined between the Israel Youth Exchange Council and the Ministry of Youth Affairs and Sports in India.

IV. MISCELLANEOUS

Article 30

The General and Financial Terms mentioned in the Annex will form an integral part of the Programme.

...6/-

The present Programme comes into force from the year 2003 and shall be valid upto 2005 or until the next programme is signed.

Article 32

The next meeting of the representatives of the two countries will take place in 2005.

Article 33

This programme does not exclude the realization of other exchanges in the cultural and educational fields.

Article 34

All additional matters that might arise in the course of the programme shall be settled through diplomatic channels.

Done and signed at New Delhi on 9th September, 2003. Corresponding to 18th Bhadrapada, 1925 (Saka) in two originals of Hindi, Hebrew and English, all the text being equally authentic. However, in case of doubt, the text of English version will prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL

J.m.) ~

GENERAL AND FINANCIAL PROVISIONS

A. GENERAL PROVISIONS.

1. EXCHANGE OF INDIVIDUALS / DELEGATIONS / EXHIBITIONS

- (i) Each party shall send to the other party the bio-data (including languages spoken), in English and proposed itinerary at least two months in advance of the expected date of visit of the delegations or individuals selected under this programme, and at least four months in advance in the case of performing delegations and exhibitions. The receiving party shall intimate the acceptance or otherwise of the proposals within one month of the proposal.
- (ii) After the approval has been received, the sending side shall inform the receiving party at least three weeks in advance.
- (iii) Person(s) or delegation invited should know either the language of the receiving party or English
- (iv) The Party shall extend art facilities to the delegations and Individual send from the other country to get acquainted with the culture and life of the host country.

2. EXCHANGE OF EXHIBITIONS.

- (i) Separate agreement shall be reached between the promoting party and the receiving party with regard to exhibitions.
- (ii) The sending country shall inform the receiving country about the technical details of the proposed exhibitions.
- (iii) The necessary information for the elaboration of the corresponding catalogue must be sent three months before the inauguration date.
- (iv) The art exhibits must arrive at their destination fifteen days before the opening of the exhibition.

3. EXCHANGE OF MATERIALS.

Each contracting party shall have the right to use the materials exchanged in the fields of information, radio and televisions in its own programme and such programmes should not be given by the receiving side to a third party. The sending side shall be responsible for authors' and artists' rights as well as for transportation expenses

.2/...-

B. FINANCES

4. EXCHANGE OF EXPERTS AND SCHOLARS

As long as the institutions participating in the present programme do not decide on the contrary, the following regulations shall be in force:

- a) The sending country shall cover the cost of international air travel to and from the respective capital cities.
- The Indian side shall cover board and food as well as emergency medical expenses.
- c) The Israeli side shall provide either a sum of US\$ 120 per person, or board and food. In both case it will also meet the emergency medical expenses.

5. VISITS NOT EXCEEDING FOURTEEN DAYS:

(i) In case of visits of performing troupes and delegations for period not exceeding 14 days, the sending side shall cover travel expenses to and fro both the countries.

In such case, the Indian side shall offer:

- (a) Free accommodation in a suitable hotel or university guest house, free board or a cash allowance at the rate of Rs.300/- per day per person for board if breakfast is included in the lodging, otherwise Rs.330/- per day per person.
- (b) Local transport or Rs.75/- per day.
- (c) An out of pocket allowance of Rs.50/- per day for sundry expenses.
- (d) Emergency medical expenses.

The Israeli side shall offer

- (e) Free accommodation, food and an out of pocket allowance of US\$15 per day for sundry expenses or 120 \$ per person per day.
- (f) Emergency medical expenses.
- (ii) In the case of visits by participating troupes and delegations, the sending side will arrange for venues for the performance, publicity in print and electronics media, arrangement for sound and light etc., invitation cards and other such arrangements which would facilitate the programme. The receiving side shall extend non-financial assistance to facilitate the visits.

भारत गणराज्य की सरकार तथा इजराइल राज्य की सरकार के बीच वर्ष 2003-2005 के लिए सांस्कृतिक सहयोग का कार्यक्रम

भारत गणराज्य की सरकार तथा इजराइल राज्य की सरकार, जिन्हें आगे पक्ष कहा गया है, अपने मैत्री संबंधों को प्रगाद बनाने तथा संस्कृति के क्षेत्र में आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने की इच्छा से प्रेरित होकर और दोनों पक्षों के बीच 18 मई, 1993 को नई दिल्ली में हुए सांस्कृतिक करार के अनुच्छेद 11 के अनुसरण में वर्ष 2003-2005 के लिए आदान-प्रदान के निम्नलिखित कार्यक्रम पर सहमत हैं।

I. कला और संस्कृति

अनुच्छेद 1

दोनों पक्ष पुस्तक प्रकाशकों के बीच सीधे संबंध स्थापित करने को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 2

दोनों पक्ष इस कार्यक्रम की वैधता अविध के दौरान जब भी एक-दूसरे के देश में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले आयोजित किए जाएंगे, वाणिज्यिक आधार पर ऐसे मेलों में भाग लेने के लिए एक दूसरे को आमंत्रित करेंगे।

अनुच्छेद 3

दोनों पक्ष 2004 में दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में हिब्रू साहित्य अनुवाद संस्थान की भागीदारी का स्वागत करते हैं।

अनुच्छेद ४

दोनों पक्ष भारत में साहित्य अकादमी तथा नेशनल बुक ट्रस्ट और इजराइल में हिब्रू साहित्य अनुवाद संस्थान के माध्यम से एक-दूसरे के देश की भाषाओं में एक-दूसरे की साहित्यिक कृतियों के अनुवाद के क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। इस संदर्भ में, दोनों पक्ष यहूदी पाठकों द्वारा कवि रविन्द्र नाथ टैगोर को भेजे गये पत्रों के संबंध में एक पुस्तक के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने की अपनी-अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं।

अनुच्छेद 5

दोनों पक्ष दोनों देशों के साहित्यिक समुदायों के बीच अधिकाधिक समझबूझ पैदा करने के उद्देश्य से लेखकों और सम्पादकों के बीच संबंधों को प्रोत्साहित करेंगे और सेमिनार कार्यशालाओं तथा कविता पाठ का आयोजन करेंगे। इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक वर्ष ७ दिन निर्धारित किए जाएंगे। इस संदर्भ में इजराइली पक्ष भारत की साहित्य अकादमी को येरूसलम में अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है।

अनुच्छेद 6

दोनों पक्ष निम्नलिखित के बीच सीधे सहयोग को बढ़ावा देंगे :

- क) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता (भारत) तथा इजराइल का राष्ट्रीय पुस्तकालय
- ख) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार और इजराइली राष्ट्रीय अभिलेखागार
- ग) दोनों देशों में अन्य संदर्भ और अनुसंघान पुस्तकालय

दोनों पक्ष इस सहयोग को कार्यरूप देने के लिए चार-चार दिन तक के एक-एक दौरे का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 7

दोनों पक्ष प्रोटो, प्राग्ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक कालों में भारतीय उपमहाद्वीप, मध्यपूर्व तथा मिस के बीच एक-दूसरे के सांस्कृतिक संबंधों की जांच करने के उद्देश्य से गवेषणा तथा उत्खनन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देंगे। इस संबंध में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा इजराइली पुरावशेष प्राधिकरण नोडल संस्थान होंगे।

अनुच्छेद 8

दोनों पक्ष भारत में यहूदी संस्कृतिक धरोहर के परिरक्षण और पुनीनर्माण का स्वागत करते हैं।

दोनों पक्ष पुरातत्व पर सूचना और प्रकाशनों के आदान-प्रदान के उद्देश्य से अपने-अपने देश में संबंधित प्राधिकारियों को प्रोत्साहित करेंगे। दोनों पक्ष इस कार्यक्रम की अवधि के दौरान पारस्परिक रूचि के विषय पर आयोजित किए जाने वाले एक संयुक्त सेमिनार के आयोजन को भी प्रोत्साहित करेंगे। इस संबंध में, ब्यौरों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा इजराइली पुरावशेष प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

अनुच्छेद 10

इस कार्यक्रम की वैधता के दौरान दोनों पक्ष अपनी-अपनी विशेषज्ञता के मामलों के बारे में सूचना के आदान-प्रदान के उद्देश्य से सात-सात दिन की अविध के लिए पुरातत्व, पुरावशेषों के परिरक्षण, स्मारकों तथा वास्तु कला के संरक्षण के क्षेत्रों से एक-एक विशेषज्ञ का आदान-प्रदान करेंगे। इस संबंध में ब्यौरों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा इजराइली पुरावशेष प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

अनुच्छेद ११

दोनों पक्ष रंगमंच, संगीत, नृत्य, दृश्य कलाओं, संग्रहालयों, फिल्मों तथा समारोह निर्देशन के क्षेत्रों में विशेषज्ञों के आदान-प्रदान और कार्यशालाओं के आयोजन को प्रोत्साहित करेंगे जिसके लिए प्रत्येक वर्ष 20 श्रम दिन आवंटित किए जाएंगे।

अनुच्छेद १२

दोनों पक्ष एक-दूसरे के संगीत,नृत्य और रंगमंच उत्सवों में कला प्रस्तुति तथा भागीदारी के लिए कलाकारों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे। कलाकारों के आदान-प्रदान के संबंध में उनकी संख्या तथा श्रम दिनों को परस्पर आदान-प्रदान के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। दोनों पक्ष, अपने-अपने देश में आयोजित किए जाने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय महोत्सवों के बारे में पर्याप्त समय रहते एक-दूसरे को सूचित करेंगे ताकि उनमें भाग लेना सुविधाजनक रहे।

इजराइली पक्ष योसेफ बार योसेफ द्वारा रचित अनुदित नाटक की नाटककार की भागीदारी सहित प्रस्तुति के आयोजन में अपनी रूचि व्यक्त करता है।

अनुच्छेद १४

दोनों पक्ष विशेषज्ञों के आदान-प्रदान सिंहत दोनों देशों के संग्रहालयों तथा संस्थानों के बीच सीधे संबंधों को बढ़ावा देंगे। दोनों पक्ष इस कार्यक्रम की वैधता की दौरान राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली तथा इजराइली संग्रहालय, येरुसलम के बीच प्रदर्शनियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे। इस प्रयोजनार्थ प्रेषक और स्वागतकर्ता संस्थानों के बीच विशिष्ट समझौता ज्ञापन किया जाएगा।

अनुच्छेद 15

दोनों पक्ष इस कार्यक्रम की वैधता के दौरान राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली तथा इजराइल के समतुल्य संस्थान के बीच प्रदर्शनियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे।

अनुच्छेद 16

इजराइली पक्ष भारत में आइन्सटाइन प्रदर्शनी भेजेगा जिसकी मेजबानी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (एनसीएसएम), कोलकाता करेगा। तदनुरूप राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद एक प्रदर्शनी भेजेगा जिसकी मेजबानी इजराइल में समतुल्य संस्थान द्वारा की जाएगी।

अनुच्छेद 17

इजराइली पक्ष ने भारत में कुछ बड़े शहरों में प्रदर्शन के लिए ''दि ट्रेन'' कठपुतली रंगमंच को लाने तथा कठपुतली का नाच दिखाने वालों द्वारा बच्चों और व्यावसायिकों के साथ बाल रंगमंच के क्षेत्र में कार्यशालाएँ आयोजित करने में रूचि दिखाई। इसके बदले में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय इजराइल में एक बाल रंगमंच प्रस्तुत भेजेगा।

इजराइली पक्ष ने परस्पर आदान-प्रदान आधार पर भारतीय नर्तकों के साथ क<mark>ला</mark> प्रस्तुत करने और कार्यशालाएँ आयोजित करने के लिए ''शेकजेतक'' रिद्म नृत्य मंडली को लाने में अपनी रूचि व्यक्त की।

अनुच्छेद 19

इजराइली पक्ष ने भारत के एक संगीत संस्थान के साथ सहयोग करने और परस्पर आधार पर प्रदर्शन करने के लिए आघात-वाद्य (पर्कशन) संगीतकार, चेन त्सीमबाइस्ता को लाने में रुचि व्यक्त की।

II. जन-संचार के माध्यम

अनुच्छेद २०

दोनों पक्ष एक-दूसरे के फिल्म-समारोहों में फिल्मों और फिल्म-निर्माताओं की भागीदारी को बढ़ावा देंगे।

अनुच्छेद २१

दोनों पक्ष अपने-अपने देश में दूसरे पक्ष के फिल्म सप्ताहों का आयोजन करने को प्रोत्साहित करेंगे। यदि फिल्म की भाषा अंग्रेजी नहीं हो तो दोनों देशों द्वारा दिखाई जाने वाली फिल्मों में अंग्रेजी उप-शीर्षक होंगे।

अनुच्छेद 22

प्रत्येक पक्ष सिनेमा के क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ अथवा व्यक्ति के परस्पर दौरों को प्रोत्साहित करेगा।

अनुच्छेद 23

दोनों पक्ष सिनेमा और दूरदर्शन विशेषज्ञों तथा दोनों देशों के फिल्म और दूरदर्शन संस्थानों के मध्य सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे।

दोनों पक्ष दोनों देशों के फिल्म और दूरदर्शन विद्यालयों के मध्य सहयोग के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं तथा वे दोनों फिल्म विद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों के आदान-प्रदान हेतु प्रस्ताव तैयार करेंगे।

अनुच्छेद 25

दोनों पक्षों ने भारतीय और इजराइली फिल्म निर्माताओं के मध्य सह-निर्माण को बढ़ावा देने में रूचि व्यक्त की। दोनों पक्ष एक सह-निर्माण करार पर चर्चा करेंगे, जिससे भावी फिल्म सह-निर्माणों में सुविधा होगी।

III. युवा मामले और खेल

अनुच्छेद 26

दोनों पक्ष इस पर सहमत हैं कि युवाओं और युवा वयस्कों के आदान-प्रदान का दो देशों के मध्य संबंधों के विकास में बड़ा योगदान होता है। अतः वे युवाओं के आदान-प्रदान कार्यक्रम का समर्थन करेंगे।

अनुच्छेद 27

दोनों पक्षों का यह विश्वास है कि युवाओं के स्वयं सिक्य रूप से भाग लेने तथा युवा सहयोग के संवर्धन और विशिष्ट युवा कार्यकलापों के माध्यम से नेटवर्किंग पर बल दिया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 28

दोनों पक्ष खेल दलों, खिलाड़ियों और किकेट, स्कवैश और टेनिस सहित विविध अनुशासनों में विशेषज्ञों के आदान-प्रदान की संभावना का पता लगाएंगे। ब्यौरे परस्पर परामर्श से तैयार किए जाएंगे।

दोनों पक्ष युवाओं के क्षेत्र में व्यावसायिकों और विशेषज्ञों की परस्पर परियोजनाओं को प्रोत्साहित करेंगे। इस संबंध में ब्यौरे इजराइल युवा आदान-प्रदान परिषद और भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय के मध्य निर्धारित किए जाएंगे।

IV. विविध

अनुच्छेद ३०

अनुबंध में उल्लिखित सामान्य और वित्तीय शर्ते कार्यक्रम का एक अभिन्न भाग होंगी।

अनुच्छेद ३१

वर्तमान कार्यक्रम वर्ष २००३ से लागू होगा और वर्ष २००५ तक अथवा अगले कार्यक्रम पर हस्ताक्षर होने तक वैध रहेगा।

अनुच्छेद ३२

दोनों देशों के प्रतिनिधियों की अगली बैठक 2005 में होगी।

अनुच्छेद ३३

यह कार्यकम सांस्कृतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में अन्य आदान-प्रदानों को करने को वर्जित नहीं करता है।

अनुच्छेद ३४

इस कार्यकम की अवधि में सामने आने वाले संभावित सभी अतिरिक्त मामलों को राजनियक माध्यमों से निपदाया जाएगा। नई दिल्ली में 09 सितंबर, 2003 को तद्नुरूप 18 भाद्रपद, 1925 (शक) को हिन्नू, हिन्दी और अंग्रेजी की दो मूल-प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। तथापि, संदेह के मामले में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार

की ओर से

7'm.)~

इजराइल राज्य की सरकार की ओर से

सामान्य और वित्तीय प्रावधान

क. सामान्य प्रावधान :

1. व्यक्तियों /शिष्टमंडलों /प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान

- i) प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को इस कार्यकम के अंतर्गत चुने गए शिष्टमंडलों अथवा व्यक्तियों की यात्रा की संभावित तारीख से कम से कम दो {2} माह पूर्व तथा प्रदर्शनकारी शिष्टमंडलों तथा प्रदर्शनियों के मामले में कम से कम चार {4} माह पूर्व उनके जीवन-वृत्त (बोली जाने वाली भाषा सिहत) अंग्रेजी में तथा प्रस्तावित मार्ग-विवरण भेजेगा। मेजबान पक्ष प्रस्ताव के एक {1} माह के भीतर इसकी स्वीकृति अथवा अन्यथा की सूचना देगा।
- ii) प्रस्ताव का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात, प्रेषक पक्ष कम से कम तीन {3} सप्ताह अग्रिम रूप में मेजबान पक्ष को इसकी सूचना देगा।
- iii) आमंत्रित किए गए व्यक्ति (व्यक्तियों) को मेजबान पक्ष की भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा की जानकारी होनी चाहिए।
- iv) दोनों पक्ष दूसरे देश से भेजे गए शिष्टमंडलों और व्यक्तियों को मेजबान देश की संस्कृति तथा जन-जीवन से परिचित कराने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे।

2. प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान

- i. प्रदर्शनियों के संबंध में प्रवर्तक पक्ष तथा मेजबान पक्ष के मध्य पृथक करार किए जाएंगे।
- ii. प्रेषक देश प्रस्तावित प्रदर्शनी के तकनीकी ब्यौरों के बारे में मेजबान देश को सूचित करेगा।
- iii. सदृश कैटेलॉगों को व्यापक बनाने के लिए उद्घाटन की तारीख से तीन (3) माह पूर्व आवश्यक जानकारी अवश्य भेज देनी चाहिए।
- iv. प्रदर्शनी आरंभ होने के पंद्रह {15} दिन पहले कला प्रदर्श अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाने चाहिए ।

3. सामग्रियों का आदान-प्रदान

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को सूचना, रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्रों में आदान-प्रदान की गई सामग्रियों को अपने कार्यकर्मों में इस्तेमाल करने का अधिकार होगा तथा मेजबान पक्ष द्वारा ऐसे कार्यक्रमों को किसी अन्य पक्ष को नहीं दिया जाना चाहिए। प्रेषक पक्ष लेखकों तथा कलाकारों के अधिकारों तथा परिवहन के खर्चे के लिए उत्तरदायी होगा।

ख. वित्त

4. विशेषज्ञों तथा विद्वानों का आदान-प्रदान

जब तक इस कार्यकम में भाग लेने वाले संस्थान प्रतिकूल निर्णय नहीं ले लेते, निम्नलिखित विनियम लागू रहेंगे :

- क) प्रेषक देश एक-दूसरे के देश की राजधानियों से आने और जाने की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के व्यय को वहन करेगा।
- ख) भारतीय पक्ष आवास व भोजन के व्यय के साथ-साथ आपातकालीन विकित्सा व्यय को वहन करेगा।
- ग) इजराइली पक्ष प्रति दिन प्रति व्यक्ति 120 अमेरिकी डॉलर की धनराशि, आवास व भोजन प्रदान करेगा। दोनों स्थितियों में यह आपातकालीन चिकित्सा खर्च भी वहन करेगा।

अधिकतम चौदह दिनों तक के दौरे :

(i) प्रदर्शनकारी दलों तथा शिष्टमंडलों के अधिकतम चौदह दिनों तक की अविध के दौरों के मामले में प्रेषक पक्ष एक देश से दूसरे देश के जाने और आने का व्यय वहन करेगा।

ऐसे मामले में भारतीय पक्ष निम्नलिखित की पेशकश करेगा :

(क) किसी उपयुक्त होटल अथवा किसी विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था में सुबह का नाश्ता शामिल हो तो निःशुल्क भोजन अथवा 300/- रु. प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से नकद भत्ता अन्यथा 330/- रु. प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से नकद भत्ता।

- (ख) स्थानीय परिवहन अथवा 75 रू. प्रति दिन
- (ग) विविध व्ययों के लिए अपनी जेब से किए गए खर्च के रूप में 50/- रू. प्रति दिन का भत्ता।
- (घ) आपातकालीन चिकित्सा व्यय। इजराइली पक्ष निम्नलिखित की पेशकश करेगा :
- (इ.) निःशुल्क आवास व भोजन तथा विविध व्ययों के लिए प्रतिदिन 50 अमेरिकी डॉलर का जेब खर्च अथवा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 120 अमेरिकी डॉलर।
- (च) आपातकालीन चिकित्सा व्यय।
- (ii) भाग लेने वाले दलों और शिष्टमंडलों के मामले में, प्रेषक पक्ष प्रदर्शन स्थल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रचार, ध्विन व प्रकाश आदि की व्यवस्था, निमंत्रण-पत्र तथा इस प्रकार की अन्य व्यवस्थाएं जो कार्यक्रम के लिए सहायक होगी, की व्यवस्था करेगा। मेजबान पक्ष दौरों को सुविधाजनक बनाने के लिए गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।